O/o CE (EITC)
Receipt No. 3588
Date 15 DEC 2017
DGM (IT) / SE (O)
EE Web
Section

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री देवाशीष नंदी, महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574300

अपील प्रकरण क्रमांक 10/2017 दिनांक 23.10.2017

श्री राजेश कुमार तांती
प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर
कक्ष क.–21, भू–तल, विद्युत सेवा भवन,
डंगनिया, रायपुर, पिन–492013

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री व्ही. आर. मौर्या
जन सूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: **आदेश** ::–

(दिनांक 06.12.2017 को पारित)

अपीलार्थी श्री राजेश कुमार तांती की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ0ग0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 10/2017 दिनांक 23.10.2017 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) अपीलार्थी श्री राजेश कुमार तांती का अपील पक्ष कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उनके द्वारा आवेदन दिनांक 03.10.2017 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गई थी:–

1. Please provide the list of more than two years old court cases concerning with HR related matter in which reply on behalf of CSPHCL has not been filed in the concern court.
2. Please provide the copy of office notes/letters/emails, vide which higher authority (like Chairman, MD) has been informed about non-submission of reply on behalf of CSPHCL in the matter mentioned at point no- 03.

उपरोक्त जानकारी उपलब्ध न कराते हुए यह अवगत कराया गया है कि चाही गई सूचना अस्पष्ट है एवं विशिष्ट नहीं हैं, अतएव तत्संबंधी जानकारी उपलब्ध नही कराया जा सकता। जिससे असंतुष्ट एवं विवश होकर प्रथम अपील दर्ज की गई है। अतः निवेदन है कि वांछित बिन्दुओं की जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(3) उक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र. –10/2017/47 दिनांक 03.11.2017 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को **दिनांक 16.11.2017** को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री तांती को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इंस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। निर्धारित तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी आवश्यक कार्यवश ऊर्जा विभाग, मंत्रालय,

नया रायपुर, में उपस्थित रहने के कारणवश अपील सुनवाई की निर्धारित समयावधि में इस कार्यालय में उपस्थित नही हो सके। अतएव प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न नही की जा सकी।

(4) उपरोक्त परिस्थितिवश अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण की अगली सुनवाई **दिनांक 24.11.2017** को दोपहर 12:00 बजे नियत कर उभयपक्षों को पत्र क्रमांक 48 दिनांक 16.11.2017 के द्वारा सूचित किया गया। निर्धारित तिथि को अपीलार्थी के द्वारा दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया कि वह अपील सुनवाई समयावधि दोपहर 12:30 बजे कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ है, अतः अपील प्रकरण की सुनवाई द्वितीय पाली में आयोजित करने का कष्ट करें। यद्यपि उक्त तिथि को कार्यालयीन व्यस्तता के कारणवश द्वितीय पाली में प्रकरण की सुनवाई संपन्न किया जाना संभव नही था। अतः प्रकरण में सुनवाई नही की जा सकी।

यथास्थिति अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपील प्रकरण की सुनवाई दिनांक 29.11.2017 को नियत कर पत्र क्रमांक 49 दिनांक 24.11.2017 के माध्यम से उभय पक्षों को सूचित किया गया। उक्त तिथि को अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी उपस्थित हुए। तत्पश्चात् सुनवाई की गई।

(5) निर्धारित तिथि 29.11.2017 को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई जानकारी सलाहकार (विधि), छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण पत्र क्रमांक 1970 दिनांक 07.10.2017 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सलाहकार (विधि), द्वारा अपने आवक क्रमांक 1539 दिनांक 09.10.2017 के माध्यम से बिन्दु क्रमांक 01 व 02 के संदर्भ में अवगत कराया गया कि **''आवेदक द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट है एवं विशिष्ट नहीं है। अतएव विधि विभाग द्वारा तत्संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। पुनश्च मामला न्यायालयीन होने के कारण इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।''**

उपरोक्त वस्तुस्थिति से आवेदक को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 12.10.2017 के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर अवगत करायी गयी है।

(6) निर्धारित तिथि 29.11.2017 को अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी तथा सहायक जनसूचना अधिकारी एवं संबंधित प्रभाग के प्राधिकारी उपस्थित हुए, तत्पश्चात् प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही की गई।

(अ) जैसा कि अपील के निराकरण की कार्यवाही एक अर्द्ध न्यायिक प्रकृति की है। अतः अपील के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित हैं। प्राकृतिक न्याय का प्रमुख एवं सार्वभौम सिद्धांत है कि किसी निर्णय पर पहुँचने से पूर्व संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। साथ ही अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(ब) उक्त तिथि को प्रतिअपीलार्थी एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया, तथा दोनों पक्षों के तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण में आये तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि वांछित बिंदुओं की जानकारी के संदर्भ में प्रतिअपीलार्थी के द्वारा जो जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है वह उचित परिलक्षित होता है, क्योंकि अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 03.10. 2017 के बिन्दु क्रमांक 02 में **mentioned at point no. 3** का उल्लेख किया गया है जबकि आवेदन में केवल 02 बिन्दु में जानकारी चाही गई है, अतः जानकारी अस्पष्ट प्रतीत होती है। पुनश्च प्रकरण

न्यायालयीन होने के कारण इसे सार्वजनिक किया जाना लोकहित में उचित प्रतीत नही होती है। क्योकि अपीलीर्थी के द्वारा वांछित दो वर्ष से अधिक पुराने न्यायालयीन प्रकरणों की सूची, जिसमें अनेक प्रकरण वर्तमान में न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होंगे, जिसके प्रकटन से प्रकरण की गोपनीयता एवं कार्यवाही प्रभावित होने की आशंका है। अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत जानकारी/दस्तावेज का प्रकटन किया जाना उचित नही है।

(स) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी के द्वारा पैरा क्रमांक 05 में की गई कार्यवाही विधिसंगत एवं न्यायसंगत प्रतीत होती है, जो स्वीकार योग्य है। अतएव कंडिका 06 (ब) के दृष्टिगत अपीलार्थी को वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।

जहाँ तक अपील का प्रश्न है पूर्वगामी विवेचन के प्रकाश में यह अपील अस्वीकार की जाती है। अतः दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 10/2017 दिनांक 23.10.2017) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(श्री देवाशीष नंदी)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574300

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –10/2017/51 रायपुर, दिनांक 06/12/2017

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सलाहकार (विधि), छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री राजेश कुमार तांती, प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., कक्ष क्रमांक–21, भूतल, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर, पिन–492013 को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
इन्द्रावती खण्ड, प्रथम तल, शास्त्री चौक,
रायपुर, पिन–492001, (छ0ग0)
दूरभाष–0771–4024235,2444151

(श्री देवाशीष नंदी)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574300